क्रमांक 232-ज(I)-83/9364.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री हज़ारा सिंह, पुत्र श्री उधम सिंह, गांव खरकडा, तहसील गुहला, जिला कुरुक्षेत्र, को खरीफ, 1965 से रबी, 1970 तक 100 रुपए वार्षिक, खरीफ, 1970 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत की युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

क्रमांक **174-ज-I-83/9377.**—हरियाणा सरकार राजस्व विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक 1738-ज-I-82/472102, दिनांक 1 दिसम्बर, 1982 जो हरियाणा सरकार के राजपत्र में दिनांक 18 जनवरी, 1983 को प्रकाशित हुई है, की पहली लाईन में गांव का नाम "खडला" की बजाये "खेडला" पढ़ा जाये।

दिनांक 18 मार्च, 1983

क्रमांक **198-ज(I)-83/9536.**—श्री भगत सिंह, पुत्र श्री मियां सिंह, गांव अहमदपुर, तहसील नारायणगढ़, जिला अम्बाला, की दिनांक 11 नवम्बर, 1974 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए)(1) तथा 3(1) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री भगत सिंह को मुब्लिग 200 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 342-र-4-66/1005, दिनांक 10 अप्रैल, 1967, तथा अधिसूचना क्रमांक 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती भाग कौर के नाम खरीफ, 1974 से खरीफ, 1979 तक 200 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 350 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

क्रमांक **177-ज(I)-83/9540.**—श्री घीसा सिंह पुत्र श्री बनी सिंह, गांव घामडोज, तहसील व जिला गुड़गांवा, की दिनांक 30 मई, 1982 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री घीसा सिंह को मुब्लिग 300 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 505-ज-II-74/19514, तथा दिनांक 13 जून, 1974, अधिसूचना क्रमांक 1789-ज-(I)-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979, द्वारा मन्जूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती गजना के नाम खरीफ, 1982 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

टी० आर० तुली,
अवर सचिव, हरियाणा सरकार,
राजस्व विभाग।

LABOUR DEPARTMENT

The 5th April, 1983

No. ID/SPT/139-82/16091.—Whereas the Governor of Haryana is of the opinion that an industrial dispute exists between the workman Shri Raj Pal Singh Rathi and the management of Executive Engineer, Sub-Urban Division, Fazil Pur, H.S.E.B., Sonepat, regarding the matter hereinafter appearing ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, the Governor of Haryana hereby refers to Labour Court, Rohtak, constituted under section 7 of the Industrial Disputes Act, 1947,—*vide* Government notification No. 3864-ASO(E)-Lab-70/13648, dated 8th May, 1970, read with Government notification No. 9641-I-Lab-70/32573, dated 6th November, 1970, the matter specified below, being either matter in dispute or matters relevant to or connected with the dispute as between the said management and the workman for adjudication :—

Whether the termination of service of Shri Raj Pal Singh Rathi was justified and in order? If not, to what relief is he entitled ?

No. ID/SPT/139/82/16098.— Whereas the Governor of Haryana is of the opinion that an industrial dispute exists between the workman Shri Rajinder Singh, and the management of Executive Engineer, Sub-Urban Division, Fazil Pur, H.S.E.B., Sonepat regarding the matter hereinafter appearing;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, the Governor of Haryana hereby refers to the Labour Court, Rohtak constituted under section 7 of the Industrial Disputes Act, 1947,—*vide* Government notification No. 3864-ASO-(E)-Lab/70/13648, dated 8th May, 1970 read with Government notification No. 9641-I-Lab-70/32573, dated 6th November, 1970 the matter specified below, being either matter in dispute or matter relevant to or connected with the dispute as between the said management and the workman for adjudication:—

Whether the termination of service of Shri Rajinder Singh was justified and in order ? If not, to what relief is he entitled ?

V. S. CHAUDHRI,
Deputy Secretary to Government, Haryana,
Labour Department.